

753

दिनांक 24.07.2017 को State Family Planning Indemnity Sub-committee की आहूत बैठक की कार्यवाही।

सचिव, स्वास्थ्य-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 24.07.2017 को परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत State Family Planning Indemnity Sub-committee(SFPISC) की बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नवत् सदस्य उपस्थित हुए:

1. शशि भूषण कुमार, भा0प्र0से0, सचिव, स्वास्थ्य-सह-कार्यपालक निदेशक, रा0स्वा0समिति, बिहार-अध्यक्ष
2. संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, अपर सचिव, स्वास्थ्य-सह-अपर कार्यपालक निदेशक, रा0स्वा0समिति, बिहार- उपाध्यक्ष
3. डा0 रविन्द्र प्रसाद, सह प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पी0एम0सी0एच0, पटना- सदस्य
4. डा0 रानू सिंह, प्रभारी, आर0सी0एच0, स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग, पी0एम0सी0एच0, पटना- सदस्य
5. डा0 मो0 सज्जाद अहमद, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, रा0स्वा0समिति, बिहार - सदस्य सचिव
6. निशांत कुमार, उपनिदेशक, प0क0, रा0स्वा0समिति, बिहार - समन्वयक
7. डा0 प्रशांता बंधोउपाध्याय, DD-FP, RMNCH+A यूनिट, बिहार

समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा

1. **सहरसा** जिला अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिपूर्ति दावों के बारे में निर्णय लिया गया:
 - i. श्रीमती राधा देवी, पति- सरोज पासवान, ग्राम- जागीर, पोस्ट-धमसैना, थाना- सौरबाजार, जिला- सहरसा का दिनांक 22.07.2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सौरबाजार में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती राधा देवी का दिनांक 02.08.2014 को मृत्यु हो गई। जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IB में निहित प्रावधान के अनुसार ₹ 50,000/- (पच्चास हजार रुपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।
 - i. श्रीमती पूजा देवी, पति- श्री सितेश कुमार, ग्राम- नवहट्टा, जिला- सहरसा का दिनांक 13.01.2015 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवहट्टा में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती पूजा देवी का दिनांक 14.01.2015 को मृत्यु हो गई। जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IA में निहित प्रावधान के अनुसार ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।
2. **लखीसराय** जिला अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिपूर्ति दावा के बारे में निर्णय लिया गया:
 - i. श्रीमती बबीता देवी, पति-शिदनी महतो, ग्राम- चौकरा, पो0- पीरो बजार, जिला-लखीसराय का बंध्याकरण ऑपरेशन दिनांक 17.02.2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यगढ़ा में किया गया था एवं दिनांक 29.07.2016 को रेफरल अस्पताल, सुलतानगंज में प्रसव हुआ। बंध्याकरण ऑपरेशन की असफलता के कारण District Indemnity Sub-committee(DISC) द्वारा उक्त लाभार्थी के दावे को

PP
Srid
Sasank

24/7/17
Ramu Singh
24/07/17
Sudha

78

अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

- ii. श्रीमती नूतन देवी, पति-शिव कुमार, ग्राम- हुसैना, पो0- पहाड़पुर, जिला-लखीसराय का बंध्याकरण ऑपरेशन दिनांक 24.03..2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यगढ़ा में किया गया था एवं दिनांक 30.07.2016 को प्रसव हुआ। बंध्याकरण ऑपरेशन की असफलता के कारण District Indemnity Sub-committee(DISC) द्वारा उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया
3. सारण जिला अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिपूर्ति दावा के बारे में निर्णय लिया गया:

- i. श्रीमती पूनम देवी, पति-सरोज कुमार सिंह, ग्राम+पो0- गेलहरी बुर्जग, पु0- रिविलगंज, जिला-सारण का बंध्याकरण ऑपरेशन दिनांक 22.07.2016 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एकमा में किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती पूनम देवी का दिनांक 22.07.2016 को मृत्यु हो गई। जिला स्वास्थ्य समिति, सारण की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IA में निहित प्रावधान के अनुसार ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।
- ii. श्रीमती रंभा देवी, पति-राजबहादुर राय, ग्राम- चैनपुरा, पो0- नरवा, पु0-अथर नगर, जिला-सारण का बंध्याकरण ऑपरेशन दिनांक 07.06..2016 को सदर अस्पताल, छपरा में किया गया था। बंध्याकरण ऑपरेशन की असफलता के कारण District Indemnity Sub-committee(DISC) द्वारा उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 में निहित प्रावधान के अनुसार Annexure-7 शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, सारण को निदेशित किया गया। साथ ही दोनों Fallopian Tube के Patency की जाँच समर्पित करने हेतु कहा गया ताकि गर्भधारण के समय का निर्धारण किया जा सके।

4. नवादा जिला अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिपूर्ति दावा के बारे में निर्णय लिया गया:

- i. श्रीमती शारदा देवी, पति- अशोक चौहान, ग्राम- दुधैला, पो+थाना- धमौल, प्रखण्ड- पकड़ीवरावों, जिला- नवादा का दिनांक 02.07.2015 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पकड़ीवरावों में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती पूजा देवी का दिनांक 02.07.2015 को मृत्यु हो गई। जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के

Page 2 of 4

Ram Singh
24/07/12

Section IA में निहित प्रावधान के अनुसार ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।


- ii. श्रीमती संजू देवी, पति- सुरेश पासवान, ग्राम+पो- तेतरिया, थाना- गोविन्द्रपुर, जिला- नवादा का दिनांक 19.12.2013 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्द्रपुर में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती पूजा देवी का दिनांक 25.12.2013 को मृत्यु हो गई। जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IA में निहित प्रावधान के अनुसार ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।
- iii. श्रीमती मिक्की देवी, पति- पिक्कू कुमार, ग्राम - मधेपुर, पो+थाना- काशीचक, जिला- नवादा का दिनांक 25.07.2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काशीचक में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती पूजा देवी पुनः गर्भवती हो गई एवं दिनांक 15.02.2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काशीचक में प्रसव हुआ। जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार ₹30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।

5. औरंगाबाद जिला अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिपूर्ति दावा के बारे में निर्णय लिया गया:


- i. श्रीमती मीना देवी, पति- धर्म राज चौधरी, ग्राम- तेतराही हलीनचक (टोला), पो- चौराही, हसपुरा, जिला- औरंगाबाद का दिनांक 09.05.2016 को रेफरल अस्पताल, हसपुरा में परिवार कल्याण ऑपरेशन किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती मीना देवी का दिनांक 10.05.2016 को मृत्यु हो गई। जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे SISC द्वारा Family Planning Indemnity Scheme 2016 के Section IA में निहित प्रावधान के अनुसार ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की राशि अनुमोदित किया गया।


6. गया जिला अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिपूर्ति दावा के बारे में निर्णय लिया गया:


- i. मुन्नी देवी, पति- श्री प्रदीप प्रजापत,, ग्राम- रामनपुर, थाना- टनकुपा, जिला- गया का बंध्याकरण दिनांक 28.11.2013 को सूर्या फैमिली प्लानिंग सेंटर, गांधी मैदान, गया में हुआ था। वर्ष 2015 में वह पुनः गर्भवती हो गई एवं अगस्त 2015 में उसने मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया को आवेदन दिया। मुन्नी देवी के बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान Left Fallopian Tube को Operate किया जा सका एवं Right Fallopian Tube पुर्नतया adherent, congested तथा diminutive होने के कारण Operate नहीं किया जा सका। साथ ही लाभार्थी के पति को NSV कराने हेतु परामर्श भी दिया गया। इस आशय की जानकारी Operation Note एवं Discharge



 The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there are initials 'IP' and a signature that appears to be 'Srid'. In the center, there is a signature that looks like 'Sankar P'. To the right, there is a signature 'Ramu Singh' with the date '29/07/12' written below it. Further right, there is another signature that appears to be 'Sudh' and a small mark at the bottom right.


Slip में वर्णित है। दोनो Fallopian tube पर प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण बंध्याकरण ऑपरेशन को सफल नहीं माना जाता है। जिला गुणवत्ता यकिन समिति के द्वारा दिनांक 25.11.2015 की बैठक में उपरोक्त कारणों से क्षतिपूर्ति दावा के राशि को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। अतः उक्त दावे को Family Planning Indemnity Scheme 2016 के तहत SISC द्वारा भी अस्वीकृत करार दिया गया।



डा0 प्रशांता बंधोउपाध्याय,
DD-FP, RMNCH+A यूनिट



(निशांत कुमार)
उपनिदेशक, प0क0, रा0स्वा0समिति, बिहार


(डा0 मो0 सज्जाद अहमद)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
रा0स्वा0समिति, बिहार


डा0 रानू सिंह,
प्रभारी, आर0सी0एच0, स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग,
पी0एम0सी0एच0, पटना


डा0 रविन्द्र प्रसाद,
सह प्राध्यापक, सर्जरी विभाग,
पी0एम0सी0एच0, पटना



संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक,
रा0स्वा0समिति, बिहार


(शशि भूषण कुमार, भा0प्र0से0.)
सचिव, स्वास्थ्य -सह-कार्यपालक निदेशक,
रा0स्वा0समिति, बिहार

ज्ञापांक: 2369
प्रतिलिपि-

पटना, दिनांक: 31/1/17

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ समर्पित।
- सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अपर निदेशक (वित्त), राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (Quality Assurance) एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन-सह-उपाध्यक्ष, DISC, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी ACMO-सह-सदस्य सचिव, DISC, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक-सह-फैसिलिटेटर, DISC, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(शशि भूषण कुमार, भा0प्र0से0.)
सचिव, स्वास्थ्य -सह- कार्यपालक निदेशक,
रा0स्वा0समिति, बिहार

Claim chart under FPIS

S. no.	District	Sub S. no.	Name of Beneficiary	Name of Husband / wife	Address	Date of operation	DFPIS/DQA C Proceeding (Yes/No)	Claim Form (Yes/No)	Consent Form and Medical Check List (Yes/No)	Post Operative Card/Discharge Certificate/BST (Yes/No)	Death Certificate for Death Case (Yes/No)	Diagnostic report/Birth Certificate confirming failure (Yes/No)	Audit of Death (Yes/No)	Type of claim (Death / Complication / Failure)	Date of Death	Date of pregnancy detection/delivery/ Abortion	Recommended from DISC	Approval/Decision by SISC	Remarks
1	Saharsa	1	Radha Devi	Saroj Paswan, Daughter of Bendshwari Paswan	Vill- Jagri, P.O- Dhamsahna, Dist- Saharsa	22.07.14	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Death	02.08.2014	NA	Yes	Approved	Rs 50000 under section 1 B
		2	Pooja Devi	Sitesh Kumar	Vill-Navhata, Dist- Saharsa	13.01.2015	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Death	14.01.2015	NA	Yes	Approved
2	Lakhisarai	1	Babita Devi	Shidani Mahito	Vill- Chaakara, P.O.-Prifi Bazar, Dist-Lakhisarai	17.02.14	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes	NA	Failure	NA	29.07.2016	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
		2	Nutan Devi	Shiv Kumar	Vill- Husaina, P.O.- Paharpur, Dist- Lakhisarai	24.03.14	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes	NA	Failure	NA	30.07.2016	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
3	Saran	1	Poonam Devi	Saroj Kr. Singh	Vill+PO- Gelahari Burjag, PS- Rwigaraj, Dist-Saran	22.07.16	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Death	22.07.2016	NA	Yes	Approved	Rs 200000 under section 1 A
		2	Rambha Devi	Rajbahadur Rai	Vill- Chainpura, P.O.- Narawa, PS-Autar Nager, Dist-Saran	07.06.2016	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes	NA	Failure	NA	26.12.2016	Yes	Pending	Potency of the fallopian tube of both side should be tested to confirm the conception was before or after surgery. Annexure 7 of FPIS manual has to be submitted.
4	Nawada	1	Sharda Devi	Ashok Chauhan	Vill-Dudhauia, PO+PS- Dhamsua, Block- Pakarwawa, Dist- Nawada	02.07.2015	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Death	02.07.2015	NA	Yes	Approved	Rs 200000 under section 1 A
		2	Sanjiv Devi	Suresh Pasawan	Vill-Tetriya, PS- Govindpur, Dist- Nawada	19.12.2013	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Death	25.12.2013	NA	Yes	Approved	Rs 200000 under section 1 A
5	Aurangabad	3	Mikki Devi	Pikku Kumar	Vil- Madhepur, Block- Varsaliganj, Dist- Nawada	25.07.2012	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes	NA	Failure	NA	15.02.2014	Yes	Approved	Rs 30000 under section 1 C
		1	Mina Devi	Dharam raj Choudhary	Vill- Tetrahi, Halinchak(tola) P.O- Chauhani, Haspura, Aurangabad	09.05.2016	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Death	10.05.2016	NA	Yes	Approved	Rs 200000 under section 1 A
6	Gaya	1	Munni Devi	Pradeep Pandit	Vill-Ramanpur, Utrihara, P.S Tankuppa, Gaya	28.11.2013	Yes	NO	Yes	Yes	NA	Yes	NA	Failure	06.09.2015	NA	NO	Denied	as sterilization procedure not completed and detailed is mentioned in discharge slip

[Signature]
(सो यति वासुदेव)
DD-FP- RMNCH+A रिपोर्ट

[Signature]
(रिपोर्ट कर्ता)
सुपरीवेयर, 1000,
खोखोवाडी, राय

[Signature]
(सो मी रमेश अग्रवाल)
सुपरीवेयर, 1000,
खोखोवाडी, राय

[Signature]
(सो रि. रि.)
काम सिंग
24/07/17 सुपरीवेयर

[Signature]
(सो रि. रि.)
सुपरीवेयर, 1000,
खोखोवाडी, राय

[Signature]
(रिपोर्ट कर्ता, सुपरीवेयर)
सुपरीवेयर, 1000,
खोखोवाडी, राय

749